मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9 / 04 / 2025

क्रमांक F-6/1/4.0003/2025/18-3:: नगरपालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी में अध्यक्ष श्री शफीक खान, के विरूद्ध कतिपय गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच से यह प्रकरण उद्‌भुत हुआ है।

माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, संसदीय कार्य विभाग में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.06.2024 से 04 सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर, जांच कराई गई। जांच में नगरपालिका परिषद सिवनी में गंभीर अनियमितताऐं परिलक्षित हुई जिसमें नगरपालिका परिषद सिवनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ही श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी भी कतिपय गभीर अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी प्रतीत हुये।

प्रकरण में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी को विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 01.10.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री शफीक खान द्वारा उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 04.11.2024 के माध्यम से विभाग में प्रस्तुत किया।

श्री शफीक खान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 12.12.2024 एवं दिनांक 02.01.2025 नियत की गई। नियत दिनांक 02.01.2025 को श्री शफीक खान उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। तदोपरांत प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया

श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद सिवनी, जिला सिवनी के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र में अधिरोपित आरोपों पर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर/अभ्यावेदन के आधार पर प्रस्तुत अभिलेखों तथा अधिनियम एवं नियमों के परिपेक्ष्य में विचारण किया गया, विवरण निम्नानुसार हैं :–

<u>आरोप क्रमांक–01</u>

नगर पालिका परिषद, सिवनी में स्टेडियम परिसर एवं पी.जी. कॉलेज में 9 मीटर हाईमास्ट लाइट 6 नग 200 वॉट LED Flood Light सहित क्रय किये जाने हेतु जैम पोर्टल से Comparison के आधार पर राशि रुपये 1,24,800/– प्रति नग की दर कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रशासक, नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा दिनांक 25.04.2022 को स्वीकृत की गई थी। तदनुसार राशि रुपये 2,49,600/– का कार्यादेश दिनांक 26.04.2022 को संविदाकार को प्रदान किया गया था।

जांच प्रतिवेदन अनुसार संविदाकार द्वारा दिये गये कार्यादेश के अनुपालन में सामग्री प्रदाय नहीं की गई तथा दिनांक 12.12.2022 को दिनांक 26.04.2022 को जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया गया, किन्तु प्रकरण में संविदा अनुसार सामग्री आपूर्ति में विफल रहने वाले संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है।

नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा पुनः दिनांक 30.12.2022 को 2 नग 9 मीटर हाईमास्ट, 6 नग 200 वॉट LED Flood Light क्रय किए जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा अपलोड की गई। उक्त निविदा की बिड दिनांक 18.01.2023 को खोली गई, जिसमें न्यूनतम निविदा दर 2,98,000/–रुपए प्रति नग प्राप्त हुई। जांच प्रतिवेदन एवं क्रय संबंधी नस्ती की छायाप्रति के

अवलोकन से ज्ञात होता है कि नगर पालिका परिषद सिवनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा उक्त दरों को स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई तथा तदानुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दरों की सक्षम स्वीकृति हेतु दिनांक 19.01.2023 को नस्ती आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आपके द्वारा स्वीकृति स्वरुप हस्ताक्षर किये गये।

जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निकाय के अधिकारियो, निविदा समिति एवं आपके द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अप्रैल 2022 में उक्त सामग्री की दर मात्र 1,24,800/- रुपये प्रति नग स्वीकृत की गई थी तथा मात्र 9 माह पश्चात प्राप्त दर रुपये 2,98,000/- प्रति नग पूर्व स्वीकृत दर से दोगुने से भी अधिक कैसे हो सकती है। प्राप्त न्यूनतम दर प्रचलित बाजार दर के अनुरुप है या नहीं इस बात पर विचार किए बिना आनन-फानन में आपके द्वारा निविदा दर स्वीकृत की गई। उक्त क्रय की कुल लागत नस्ती अनुसार रूपये 5,96,000/- अंकित है, जबकि तत्समय अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद को रूपये 5,00,000/- तक की ही वित्तीय शक्तियां प्राप्त थी। आपके द्वारा न्यूनतम दर स्वीकृत किए जाने के पश्चात दिनांक 16.02.2023 को पी.आई.सी. से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्राप्त किया जाना पाया गया। हाईमास्ट स्थापना पश्चात भुगतान के पूर्व क्रय उपरांत सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कराया गया, जबकि निविदा दस्तावेजों में अंकित शर्तों में गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख था। हाईमास्ट लाइट स्थापना के बाद भुगतान के पूर्व नियमानुसार विद्युत निरीक्षक से या मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी के पंजीकृत तथा अधिकृत इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर से कार्य का प्रमाणीकरण भी नहीं कराया गया।

9 मीटर के हाईमास्ट पोल, 6 नग 200 वॉट LED Flood Light सहित दरें UADD-ISSR-2021 में उल्लेखित है, जिसके अनुसार उक्त क्रय की कुल लागत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित रुपये 1,37,635/- होती है, जिसे आपकी सहमति से दोगुने से भी अधिक दर पर क्रय किया जाकर नगर पालिका परिषद सिवनी को आर्थिक हानि पहुंचाया जाना तथा प्रदायकर्ता तथा अन्य को अवांछित लाभ प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है।

यही नहीं अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व में स्वीकृत निविदा दर रूपये 1,24,800/ प्रति नग सीधे निरस्त्त की गई है तथा नस्ती में संविदाकार द्वारा संविदा अनुसार कार्य नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। सम्पूर्ण कार्यवाही के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि पूरी कार्यवाही निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर अवांछित लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई। उक्त अनियमितता के लिए नगर पालिका परिषद सिवनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आप भी उत्तरदायी प्रतीत होते हैं।

<u>प्रतिवाद उत्तर-01</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :-

"वास्तविक तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद में दो नग हाई मास्क लेम्प 09 मीटर हाईट के 200 वाट एल.ई.डी फ्लड लाइट सहित क्रय किये जाने हेतु जो संविदा जारी किया जाना बताया गया है और 26.04.2022 को कार्य आदेश जारी किये जाने का उल्लेख किया है वह मेरे कार्यकाल का नही है यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर पालिका सिवनी के द्वारा दो नग हाई मास्क लैम्प 9 मीटर हाईट के क्रय किये जाने हेतु निविदा जैम पोर्टल पर जारी की गयी तथा निविदा आमंत्रित की गयी तथा निविदा खुलने के बाद कम्पेयर के आधार पर एक नग हाई मास्क पोल की राशि सभी सामग्री सहित राशि रूपये 2,49,600/- आई थी तथा उसे निविदा समिति के

समक्ष रखा गया था तथा निविदा समिति के द्वारा उक्त निविदा को स्वीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया तथा उक्त निविदा समिति में सदस्य के रूप में उपयंत्री, भंडार प्रभारी एंव मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के द्वारा स्वीकृति हेतु अनुशंसा किये जाने पर मेरे द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया था तथा इसके उपरांत निविदा समिति के द्वारा तकनीकी रूप से 9 मीटर हाईट का हाई मास्क लेम्प और बाद मे आहुत की गयी निविदा में बताये गये हाई मास्क लेम्प के स्पेसिफिकेशन में अंतर था, यह निविदा समिति के द्वारा मुझे अवगत करवाया गया था चूकि पूर्व मे प्रशासक के द्वारा जो हाई मास्क लेम्प 9 मीटर हाईट के 2 नग की कीमत राशि रूपये 2,49,600/– आकी गयी थी तथा ठेकेदार को आपूर्ति आदेश जारी किया गया था और उन्हे दिनांक 11.05.2022 तक सामग्री को प्रदान कर स्थापित किया जाना था जो उनके द्वारा समयावधि में सामग्री की आपूर्ति न करने के कारण प्रकरण मे दिनांक 16.12.2022 को आपूर्तिकर्ता से लगातार दूरभाष पर संपर्क करने के उपरांत कार्य न किये जाने के कारण निविदा समिति ने उक्त निविदा को निरस्त करने के लिये मेरे समक्ष प्रेषित किया गया तथा मेरे द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया तथा साथ ही आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध जैम पोर्टल पर शिकायत की गयी थी, चूंकि टी.एल. की बैठक के दौरान स्टेडियम परिसर व पी.जी. कॉलेज की शिकायत प्राप्त होने के कारण तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दो नग हाई मास्क लेम्प 9 मीटर हाईट के क्रय करने की कार्यवाही जैम प्लेस बिड प्रक्रिया में की गयी जिसका बिड नंबर जैम/2022/2928532 दिनॉक 30.12. 2022 तथा ओपनिंग दिनांक 16.01.2023 रखी गयी तथा ऑनलाईन स्पेसिफिकेशन के अनुसार 9 मीटर जी.आई. हॉट डीप गेवेनाइस्ट ओक्टा डोनल पोल (सिंगल संक्सन) स्पेसिफिकेशन 1 टॉप 17 एम.एम बाटम, 159 एम एम. थिकनेस, 3 एम. एम. ब्लेस प्लेट 360X16 एम.एम., पी.सी.डी. 600x20 एम.एम., विथ एम.एस फाउन्डेसन बोल्ट दो फिट एक्सा जोनल रिंग ब्रेकेट थी तथा जैम पोर्टल में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बिड प्राप्त होने पर 3 निविदाकारों के द्वारा भाग लिया जाकर दरों मे ऑनलाईन तुलनात्मक पत्रक मे सबसे न्यूनतम दर एल 1 मेसर्स राय ट्रेडर्स की राशि रूपये 5,96,000/– दो नग सेट की प्राप्त हुयी तथा लैम्प पोल के स्पेसिफिकेशन अनुसार दर प्राप्त हुयी थी तथा पूर्व मे स्वीकृत की गयी पोल की इस्पेसिफिकेशन की तुलना में वर्तमान पोल हैवी ड्यूटी का था इस कारण प्राप्त दर राशि रूपये 5,96,000/– दो नग को तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उक्त निविदा को निविदा समिति के समक्ष बैठक दिनांक 19.01.2023 को रखा गया जिसके परिपेक्ष्य में निविदा समिति के तकनीकी अमले के सदस्यों के द्वारा सामग्री क्रय करने का पर्याप्त विश्लेषण किया जाकर मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विकास, मंत्रालय के आदेश दिनांक 30.10.2017 क्रमांक 1–42/2017/18–3 मध्य प्रदेश नगर पालिका (मेयर–इन–काउंसिल/प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल) के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एंव कर्त्तव्य) नियम, 1998 के नियम 5 (5) (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन के द्वारा नगरीय निकाय में क्रय की जाने वाली समस्त प्रकार की सामग्री जो जैम में उपलब्ध है, को भारत सरकार के जैम के माध्यम से ही क्रय किये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया है तथा उक्त प्रावधानों के अंतर्गत जैम प्लेस में निविदा के तहत सामग्री क्रय की गयी तथा क्रय की गयी सामग्री सिवनी नगर के नागरिकों की मूलभूत सुविधा के अंतर्गत जनहित को दृष्टिगत रखते हुये रात्रिकालीन सड़क मार्गिय प्रकाश व्यवस्था को देखते हुये प्राप्त दर प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल की बैठक दिनांक 16.02.2023 के प्रस्ताव क्रमांक–13 में दर की अतिरिक्त व्यय सहित स्वीकृति प्राप्त की जाकर परिषद के द्वारा जनहित मे कार्य करवाया गया है इस प्रकार मेरे द्वारा संबंधित सामग्री के क्रय में

किसी भी अधिकारियों के साथ मिलकर अवांछित लाभ प्राप्त करने तथा निकाय को आर्थिक हानि पहुंचाने के लिये कोई कृत्य नही किया गया है तथा पी.आई.सी. की बैठक, निविदा समिति के अनुमोदन के अनुसार उक्त सामग्री क्रय की गयी है जिसमे मेरा व्यक्तिगत कोई हित नहीं है इस प्रकार उक्त आरोप बेबुनियाद है।"

<u>विवेचना :–01</u>

श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा अधिरोपित आरोप पर प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर का उपलब्ध अभिलेखों एवं नियमों के प्रकाश में परीक्षण किया गया।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 9 मीटर हाईट की 200 वॉट एल.ई.डी. सहित 2 नग हाईमास्ट लाइट क्रय कर स्थापित किये जाने के संबंध में निविदाकार द्वारा, जिसे कार्यादेश दिया गया था, समय पर सामग्री की आपूर्ति नही करने के कारण निविदा निरस्त किये जाने का प्रस्ताव मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। प्रतिवाद उत्तर के साथ उनके द्वारा निविदा निरस्त करने संबंधी नोटशीट पृष्ठ संख्या 10 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 12.12.2022 को अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव पर ***"नियमानुसार कार्यवाही करें"*** टीप अंकित की जाकर हस्ताक्षर किये गये हैं, जो प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनकी सहमति को प्रदर्शित करता है।

श्री शफीक खान द्वारा 9 मीटर हाइट 200 वॉट एल.ई.डी. लाइट की स्वीकृति पर राशि रूपये 1,24,800/– प्रति नग के स्थान पर मात्र 09 माह में दर बढ़ाकर राशि रूपये 2,49,600/– प्रति नग पर क्रय किया जाना किस आधार पर सही है, इसका कोई तथ्यात्मक एवं प्रमाणिक स्पष्टीकरण प्रतिवाद उत्तर में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत किये गये है।

जहां तक कार्य के स्पेसिफिकेशन का प्रश्न है, प्रथम एवं द्वितीय निविदा में उनमें कोई भिन्नता परिलक्षित नहीं होती है।

जांच समिति द्वारा 9 मीटर हाईमास्ट पोल 6 नग 200 वॉट एल.ई.डी. लाइट की स्वीकृत दर की तुलना UADD-ISSR-2021 में अंकित दरों से की गई है। उक्त ISSR में उल्लेखित दर निम्नानुसार है:–

09 meter Pole (octagonal Pole with foundation) (Item No. 16.3)	=31,094/-
LED light 200 Watt (06 Nos.) -06X12591	=75,546/-
Cable + Timer (Approx Market Rate)	=10,000/-
Total cost	=1,16,640/-
Total cost With 18%GST	=1,37,635/-

नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा उपरोक्त दर से दोगुनी दर पर हाईमास्ट लाइट की स्थापना की गई है, जिससे निकाय को लगभग राशि रूपये 2,50,000/–की आर्थिक क्षति हुई है।

यही नहीं निविदाकार द्वारा कार्यादेश अनुसार समय पर कार्य नहीं किये जाने पर उनके विरूद्ध मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किये जाने के संबंध में श्री शफीक खान द्वारा कोई टीप नस्ती में अंकित नहीं की गई है और न ही इस संबंध में अपने प्रतिवाद उत्तर में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

यही नहीं हाईमास्ट लाइट की स्थापना पश्चात सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से कार्य का प्रमाणीकरण भी नहीं कराया गया है।

श्री शफीक खान द्वारा अपने प्रतिवाद उत्तर में उल्लेख किया गया है कि क्रय किये गये हाईमास्ट पोल पूर्व में स्वीकृत की गई पोल की तुलना में वर्तमान पोल का स्पेसिफिकेशन हैवी ड्यूटी था, इस कारण निविदा समिति द्वारा दरों का विश्लेषण कर न्यूनतम दर की अनुशंसा की गई है। श्री शफीक खान द्वारा पूर्व की तुलना में अधिक दर पर क्रय किये गये पोल कैसे हैवी ड्यूटी है, कोई स्पष्ट विवरण या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है। श्री शफीक खान द्वारा अधिरोपित आरोप को बेबुनियाद बताया गया है।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 51 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जिसमें परिषद के वित्तीय एवं कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना और ऐसे कार्यपालन कृत्यों का, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे आवंटित किये जायें, पालन करने का उल्लेख है, जिसका श्री शफीक खान द्वारा विधि अनुसार पालन नहीं किया गया है, फलस्वरूप अधिक दर पर हाईमास्ट लाइट की स्थापना में नगर पालिका परिषद, सिवनी को आर्थिक हानि हुई है तथा व्यक्ति विशेष को अवांछित लाभ प्राप्त होना परिलक्षित होता है, जिसके लिये निकाय के अधिकारियों के साथ-साथ श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, सिवनी भी उत्तरदायी हैं।

श्री शफीक खान के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया जाता है।

<u>आरोप क्रमांक–02</u>

नगर पालिका परिषद, सिवनी में उक्त अवधि के दौरान नगर पालिका के सामने तेराहा, प्रायवेट बस स्टैण्ड, कचहरी चौक तथा ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कुल 4 नग 12 मीटर हाईमास्ट, 12 नग 400 वॉट LED क्रय हेतु पी.आई.सी. की बैठक में पारित संकल्प क्रमांक 20 दिनांक 21.09.2022 से रूपये 10 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गई। प्राप्त स्वीकृति के आधार पर दिनांक 31.12.2022 को जेम पोर्टल पर बिड आमंत्रित किया जाकर दिनांक 18.01.2023 को फाईनेंशियल बिड खोली गई। न्यूनतम दर राशि रूपये 4,65,000/– प्रति नग मेसर्स राय ट्रेडर्स की प्राप्त हुई। प्राप्त न्यूनतम दर की स्वीकृति एवं अतिरिक्त व्यय राशि रूपये 8,60,000/– की वित्तीय स्वीकृति हेतु निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार पी.आई.सी. के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे पी.आई.सी. की बैठक में प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 16.02.2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। जांच प्रतिवेदन एवं क्रय संबंधी अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राप्त न्यूनतम दर राशि रूपये 4,65,000/– प्रति नग की उपयुक्तता के संबंध में निविदा समिति एवं आपके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया तथा प्रचलित बाजार दर से अपेक्षाकृत अधिक दर स्वीकृत की गई। स्वीकृत न्यूनतम दर की तुलना UADD-ISSR-2021 से किए जाने पर दर लगभग राशि रूपये 65,000/– प्रति नग अधिक पाई गई है। प्रचलित बाजार दर से अधिक दर पर क्रय किए जाने से निकाय को राशि रूपये 2,60,000/– की आर्थिक हानि हुई है। यही नहीं सामग्री का मूल्य रूपये दस लाख से अधिक होने के बाद भी निविदा में समय-सीमा 15 दिवस ही रखी गई, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (वित्त एवं लेखा) नियम, 2018 के नियम 91 में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त कृत्य गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिए निकाय के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ आप भी समान रूप से उत्तरदायी प्रतीत होते है।

<u>प्रतिवाद उत्तर –02</u>

अधिरोपित आरोप के संबंध में श्री शफीक खान, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर निम्नानुसार है :–

"वास्तविक तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद, सिवनी के प्रेसिडेंट–इन–काउंसिल की बैठक दिनांक 21.09.2022 मे जो प्रस्ताव रखे गये थे उसमे प्रस्ताव क्रमांक 20 में पी.आई.सी. के उपस्थित सदस्यों के द्वारा नगर के मार्गीय प्रकाश व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख स्थान ट्रेचिंग ग्राउन्ड ग्राम छिडिया पलारी परिसर